राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश दिनांक एवं अनुलग्नक
01.	137/2025	रणवीर सिंह	1. राजस्थान राज्य, सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर। 4. उप वन संरक्षक, राजसमंद।	दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4)
02.	139/2025	सुरेंद्र सिंह शेखावत	1. राजस्थान राज्य, सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (hoff) राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर। 4. उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)।	दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) एवं दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–6)
03.	140/2025	विजेंद्र सिंह डाबी	1. राजस्थान राज्य, सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर। 4. उप वन संरक्षक, राजसमंद।	दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4)

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेंद्र बोहरा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 137/2025 रणवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर एवं अन्य को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान मे रेंजर ग्रेड द्वितीय के पद पर रेंज भीम (रेंज देवगढ़), वन्य जीव उपवन संरक्षक, वन्य जीव,

राजसमन्द में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का रेंज देसूरी, उपवन संरक्षक, वन्य जीव राजसमन्द में किया गया है, जो कि वन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–3) के शर्त संख्या 1.1 एवं 2.0 दिए गए स्थानांतरण संबंधी दिशा–निर्देशों के विरूद्ध पारित किया गया है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायिक दृष्टान्त एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 11569/2015 निर्णय दिनांक 15.12.2015 एवं एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2739/2024 स्थगन आदेश दिनांक 23.02.2024 प्रस्तुत किया।

5. उपरोक्त विवेचना के आधारों पर अपील अपीलार्थी ग्राह्य कर आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रखते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए जावें।

6. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान मे रेंजर ग्रेड द्वितीय के पद पर रेंज भीम (रेंज देवगढ़), वन्य जीव उपवन संरक्षक, वन्य जीव, राजसमन्द में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का रेंज देसूरी, उपवन संरक्षक, वन्य जीव राजसमन्द में किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–3) के शर्त संख्या 1.1 एवं 2.0 दिए गए स्थानांतरण संबंधी दिशा–निर्देशों के विरूद्ध पारित किया गया है।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 1 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

8. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

9. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

10. मूल आदेश अपील संख्या 137/2025 रणवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर व अन्य में संलग्न किया जावे एवं उसकी छायाप्रति अन्य पत्रावलियों में भी संलग्न की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

1.1 प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानांतरण बाबत् निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।
एवं 2 किसी भी अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व निम्न परिस्थितियों में ही स्थानांतरण जावेगा।